

**केन्द्रीय मुहर विभाग-2**

हमारा संदर्भ : के.मु.वि.-2/16: 4505

06 08 2018

**विषय: आई एस 4505:2015 (सोडियम फॉर्मेलडीहाइड सल्फोजाईलेट) के संशोधन संख्या 1 जून 2018 का अनुपालन**

1. आई एस 4505:2015 के संशोधन संख्या 1 को प्रकाशित किया गया है। राजपत्र अधिसूचना सं. 3408 (अ) दिनांक 12 जुलाई 2018 के अनुसार इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से करने का निर्णय लिया गया है।
2. इस संशोधन के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा एस टी आई में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इस संशोधन को अनुपालन तिथि से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
3. सभी शाखा कार्यालय, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले सभी लाइसेन्सधारकों/आवेदकों को उपरोक्त संशोधन के कार्यान्वयन के बारे सूचित करें।

(अदाने ख्रासी)  
वैज्ञानिक सी (के.मु.वि-2)

**प्रमुख (के.मु.वि.-2)**

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों/प्रयोगशालाओं/सीएचडी/एलपिपीडी को परिचालित  
आई टी एस विभाग - बीआईएस इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए

**CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2**

Our Ref: CMD-2/16: 4505

06 08 2018

**Subject: Implementation of Amendment No. 1 June 2018 to IS 4505:2015 (Sodium formaldehyde Sulphoxylate)**

1. Amendment No. 1 to IS 4505:2015 has been published as per Gazette Notification No. S.O. 3408 (E) dated 12 July 2018.
2. This amendment does not necessitate any change in the existing STI.
3. All BOs are requested to inform the Licensees/Applicants under their jurisdiction about implementation of the above amendment.

(Adane Khraasi)  
Scientist-C (CMD-2)

**Head (CMD-2)**

Circulated to all ROs/BOs/Labs/CHD/LPPD

Copy to: ITSD for hosting on BIS Intranet

**AMENDMENT NO. 1 JUNE 2018**

**TO**

**IS 4505: 2015 SODIUM FORMALDEHYDE**

**SULPHOXYLATE — SPECIFICATION**

*(First Revision)*

*(Page 1, clause 3, Grade 1)* — Substitute the following for the existing:  
‘Grade 1 — Discharge agent for textile printing and stripping and bleaching of oils, fats, soaps, jaggery and dates.’

(CHD 01)

Publication Unit, BIS, New Delhi, India